

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत

सुप्रीम कोर्ट (S.C.)

मुकाम

कापूर

श्री माराम वॉरर

बनाम

श्री माराम वॉरर

किस्म मुकदमा

सं. 111/128 R.L.C.

नं.

50/2021

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
30/03/21	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। उन्होंने नोटिस तामिल अडम तामिल अडमल/ श्रीमान श्रीमान अधिदारी डा पड रिक्त होने से मिशाल इल्लव डेडर अगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश की।</p>	
24/06/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी उन्होंने नोटिस तामिल अडम तामिल अडमल/ श्रीमान श्रीमान अधिदारी डा पड रिक्त होने से मिशाल इल्लव डेडर अगामी दिनांक 02/11/2021 को पेश की।</p>	



02/11/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्राथीगणों के
तामिल वुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली के
गमा। विप्राथीगण वावजुड तामिल अनुपस्थित
शीमान पंचायत प्रशासन गाँवो के संग
अभियान-2021 में व्यस्त होने के मिशाल इल्लव
दोहर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

न्यायालय
क्र/वाट/2021/1358
प्राथी
1. आमरण मुक्त
जाति

30/11/2021

पत्रावली प्राप्त प्रशासन गाँवो के संग अभि-
यान-2021 केय गाम पंचायत डोसरिया में स्थी गई,
प्रार्थी वहील उपस्थित। विप्राथीगण वावजुड तामिल अनुप
प्रार्थी के अधिकार ही वटस लुनी गई, प्रार्थी के अधि-
वक्त्य द्वारा बताया ही प्रार्थी व विप्राथीगणों की प्याते-
दारी भूमि सेह सेह आई हुई है। प्रार्थी व विप्राथी-
गणों के सेहो के मध्य जो पुरानी माटे व ठो मारे
दुए थे जो वर्तमान में प्राथियों की वजह से विपर
गमे है। जिससे प्रार्थी को अपने प्येत के सेहो का सही
ज्ञान नहीं था पा रहा है। प्येत के सेहो को लेकर प्रार्थी
व विप्राथीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहला है।
प्रार्थी को अपने प्येत के सेहो का सही ज्ञान करने
देहु नेप्यमबन्नी डरवानी आवरयडु है। वसालिए प्रार्थी का
नेप्यमबन्नी आवेडन स्वीकार विमा जाडर नेप्यमबन्नी
आडेरा विमा जावे।

अतः प्रार्थी अधिकार के सिवेडन पर
प्रार्थी का नेप्यमबन्नी आवेडन स्वीकार विमा जाडर
तहसीलदार बायडु को इमिशन नियुक्त विमा जाडर
आडेरा विमा जावा है कि आय स्वयं या अपने


सहायक कलक्टर
(SDO) बायडु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2021/1358
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 22/11/21
विप्रार्थीगण

1. ओमाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 20
जाति जाट, निवासी जूना सोमेसरा
पटवार मण्डल नौसर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. गंगाराम पुत्र लालजी वगैरा 4
जाति जाट, निवासी खीपर
पटवार मण्डल बाटाडू
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 50/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - जूना सोमेसरा, पटवार मण्डल - नौसर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 71 रकबा 14.9989 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 22/11/21

क्रमांक/वाद/2021/1359-63
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री ओमाराम पुत्र मंगलाराम वगैरा 20
4. विप्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र लालजी वगैरा 4
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु